LATEST

NEWS

Election

Date : 16th Dec. 2025

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

दैनिक भास्कर
जयपुर 16-12-2025

प्रदेश में सबसे अधिक 7 लाख मतदाताओं के नाम जयपुर में हटाए गए

SIR... पहला प्रारूप आज, 42 लाख नाम कटे, 11 लाख को 1 माह में दस्तावेज देने होंगे

भास्कर न्यूज | जयपुर

प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) का पहला प्रारूप मंगलवार को जारी होगा। प्रदेश के मतदाता सूचियों में से कितने नाम काटे गए हैं, इसका ऑफिशियल एलान भी हो जाएगा। प्रदेश में अब तक की वर्किंग में सामने आया है कि प्रदेशभर के 5.46 करोड़ वोटरों में से 42 लाख 29 हजार 326 से अधिक वोटरों के नाम कटेंगे। ये वो नाम हैं, जो दो जगह, पलायन, पता बदलने, मृत्यु होने आदि की कैटेगरी में काटे गए है। इसमें सीधे तौर पर संबंधित वोटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह जरूर है कि वह दो जगह वोट नहीं दे सकेगा।

इसी तरह, 11 लाख वोटरों को 2002 से पहले के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इन्हें ऐसा करने के लिए एक माह का समय मिलेगा। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर इनके नाम भी काटे जाएंगे। सर्वाधिक नाम कटने का मामला जयपुर से जुड़ा है। यहां करीब 7 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। वहीं, दस्तावेज न देने वालों में सर्वाधिक घुमंतू समाज के लोग हैं, इनके लिए आयोग विशेष व्यवस्था करेगा।

दिग्गजों का क्षेत्र: सीएम के विस क्षेत्र सांगानेर में 63 हजार, गहलोत के सरदारपुरा में 57 हजार, राजे के झालरापाटन में 26 हजार नाम हटाए

सीएम भजनलाल के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में 63 हजार, डिप्टी सीएम दिया कुमारी के विद्याधर नगर में 57 हजार मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के दूदू विस में 14 हजार, पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सरदारपुरा में 57 हजार नाम हटाए गए हैं। वहीं, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के विस क्षेत्र झालरापाटन से करीब 26 हजार नाम कटे हैं। **और यह ट्रेंड रहा है...वर्ष 2023** के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तुलना में बीजेपी पौने सात लाख अधिक वोट हासिल करके सत्ता में आई थी। वहीं, 2018 में बीजेपी से पौने दो लाख अधिक वोट हासिल करके कांग्रेस सत्ता में आई थी।

20 से 25 वोटर प्रति बूथ दस्तावेज देने के दायरें में है

एसआईआर के तहत साल 2002 से पहले के दस्तावेजों प्रस्तुत करने के दायरे में 11 लाख से अधिक वोटर चिह्नित किए गए हैं। यानी, औसत 20 से 25 मतदाता प्रतिबूथ इस दायरे में रहेंगे।

पिछली SIR में नाम है, तो प्रमाण देकर नाम जुड़वा सकेंगे

जिन्होंने अभी दस्तावेज नहीं दिए हैं, उनके भी नाम सीधे नहीं कटेंगे। सुनवाई का मौका दिए बिना किसी का नाम वोटरलिस्ट से नहीं काटा जाएगा। एसआईआर की वोटर लिस्ट का जो ड्रॉफ्ट पब्लिकेशन होगा, उसमें घर नहीं मिलने वालों की लिस्ट होगी। ड्राफ्ट पब्लिकेशन में जिनके नाम नहीं होंगे, उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाएगा। वे इसके बाद अपना पक्ष रख सकते हैं। पिछली एसआईआर में नाम है, तो प्रमाण देकर नाम जुड़वा सकेंगे। पिछली एसआईआर में नाम नहीं है तो अपने माता-पिता का पिछली एसआईआर में नाम का प्रमाण और खुद का एक आईडेंटिटी प्रूफ देना होगा। ड्राफ्ट पब्लिकेशन में जिनके नाम नहीं होंगे और वे सुनवाई का मौका देने के बाद भी नहीं आते हैं तो उनके नाम काटे जाएंगे।

बंगाल, गोवा की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी आज जारी होगी

नई दिल्ली | निर्वाचन आयोग प. बंगाल, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप का भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मंगलवार को प्रकाशित करेगा। लिस्ट की प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ भी साझा की जाएगी। प.बंगाल की ड्राफ्ट चुनावी लिस्ट मंगलवार को बीएलओ को मिल गई।

शेष | पेज 10

Hindustan Times

SIR draft roll out today; 5.821mn still unmapped

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

JAIPUR: The Rajasthan election department will publish the draft roll of the special intensive revision (SIR) on Tuesday, following verification of 54.6 million voters across 199 of the state's 200 assembly constituencies.

Chief electoral officer Naveen Mahajan said, "The survey was conducted from November 4 across all 52,222 polling booths in 199 constituencies across 41 districts of Rajasthan. The first draft roll has been finalised and will be published tomorrow on the website of the CEO Rajasthan as well as on the websites of district electoral officers. A copy of the draft will also be provided to the political parties."

He added, "Following publication, everyone will get a one-month window to raise claims and objections on the draft, while the department will issue notices to those unmapped to the 2002 SIR list, who will then need to submit relevant documents."

FOLLOWING PUBLICATION, CITIZENS WILL GET A ONE-MONTH WINDOW TO RAISE CLAIMS AND OBJECTIONS ON THE DRAFT

The house-to-house survey for the SIR concluded on December 6, after which all enumeration forms were digitised. According to the SIR status report, seen by HT, about 5.821 million voters currently remain unmapped or were found absent, shifted, or deceased in the updated electoral rolls. Of the 5.821 million voters, 4.309 million were categorised as "uncollected forms"—indicating those found dead, permanently shifted, or absent during enumeration. These are estimated figures, subject to change with further verification.

Another 1.511 million could not be mapped to the 2002 SIR list. Jaipur accounted for the highest share of unmapped or uncollected names at 19%, followed by Jodhpur (15%), Kota (14%), Pali (12%), and Bikaner (10%). Nearly 48.8 million voters —about 97% of the total—were successfully verified against the 2002 list and will not be required to provide additional documentation, the report showed.

पत्रिका

जयपुर शहर 16-12-2025 07:46

निर्वाचन विभाग जारी करेगा प्रारूप मतदाता सूची, एक माह में पेश कर सकेंगे दावे-आपत्तियां

एसआइआर : लाखों नाम कटेंगे, आज होगा खुलासा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) 2026 में प्रदेश के लाखों मतदाताओं के नाम कटेंगे, इसका खुलासा मंगलवार को होगा। निर्वाचन विभाग इसकी सही संख्या बताने से बच रहा है। प्रदेश की 191 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची मंगलवार को जारी होगी, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा जिलेवार मतदाता सूचियां संबंधित जिलों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएंगी। अंता विधानसभा क्षेत्र की प्रारूप मतदाता सूचियों का प्रकाशन बाद में किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि 41 जिलों के 199 विधानसभा क्षेत्रों के 61136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मंगलवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से साझा की जाएगी, जिसके बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची के साथ उन लोगों की सूची भी जारी होगी, जिनके नाम मतदाता सूची से काटे जाएंगे। इनमें वे मतदाता शामिल हैं, जो एसआइआर के दौरान घर पर नहीं मिले, अन्यत्र शिफ्ट हो गए या अब जिंदा नहीं हैं अथवा जिनका दूसरी जगह नाम जुड़ गया है।

महाजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मतदाताओं को प्रारूप सूची में नाम जांचने के लिए प्रेरित किया जाए, यदि नाम नहीं है तो नाम जुड़वाने के लिए फ़ॉर्म-6 भरकर जमा कराने की जानकारी दी जाए। एक अप्रेल 2026, एक जुलाई 2026 एवं एक अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों से भी नाम जुड़वाने के लिए एडवांस में फॉर्म-6 भरवाए जाएं।

...तो मतदाता कर सकेंगे अपील

एसआइआर के अनुसार प्रारूप सूची में शामिल नहीं हो पाए मतदाता जिला कलक्टर तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपील कर सकते हैं।

बाल सुधार गृहों में नहीं पहुंचते: निर्वाचन आयोग ने 17 वर्ष से अधिक आयु वालों के भी फॉर्म जमा करवाने की सुविधा दे रखी है, लेकिन न तो बाल सुधार गृहों के प्रभारी उनके यहां रहने वालों के फॉर्म भरवाते हैं और न ही स्थानीय बीएलओ इन बच्चों तक पहुंचता है।

दैनिक नवज्योति
Jaipur City - 16 Dec 2025 - Page 15

एसआईआर प्रक्रिया: राजस्थान में आज जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची

नवज्योति, जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग के राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के पहले चरण (गणना चरण) के सफल समापन के बाद मंगलवार को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि यह सूची सीईओ राजस्थान एवं संबधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। साथ ही राजस्थान के सभी 41 जिला निर्वाचन अधिकारी, 199 विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन बाद बने 61,136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा की जाएगी।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करें: महाजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी मतदाताओं को सूची में अपना नाम जांचने के लिए प्रेरित किया जाए, यदि नाम नहीं है तो अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरकर जमा कराने के बारे में जानकारी दी जाए। युवा मतदाता जो 1 अप्रेल 2026, 1 जुलाई 2026 और 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे, उन सभी से भी एडवांस फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए आवेदन कराएं। महाजन ने बताया कि एसआईआर के अनुसार, प्रारूप सूची से कोई भी नाम हटाने से पहले संबंधित ईआरओ या एईआरओ को सुनवाई का मौका देकर लिखित आदेश जारी करने होंगे। इन पर डीएम तथा सीईओ अपील सुन सकेंगे।

दैनिक भास्कर
जयपुर 16-12-2025

SIR का मतदाता सूची का प्रारूप पार्टियों से भी साझा होगा

जयपुर | विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर 2026) के पहले चरण का ड्राफ्ट मंगलवार को जारी होगा। 61136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन प्रारूप मतदाता सूची एवं पुनर्गठन के बाद मतदान केंद्रों के बारे अवगत कराया जाएंगा। प्रारूप मतदाता सूची के साथ में एएसडी (यानी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, ऑलरेडी एनरोल्ड) लिस्ट भी एक्सेसिबल फॉर्मेट में सीईओ राजस्थान एवं संबधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पुनर्गठन के बाद नव सृजित मतदान केंद्रों पर बीएलओ एवं सुपरवाइजर को तुरंत नियोजित करने के लिए निर्देशित किया गया है। महाजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी मतदाताओं को सूची में अपना नाम जांचने के लिए प्रेरित किया जाए, यदि नाम नहीं है तो अपना नाम जुड़वाने के लिए फ़ॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र (डिक्लेयरेशन फार्म) भरकर जमा कराने के बारे में जानकारी दी जाए।

राजस्थान में आज जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची

»» मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026

प्रशान्त ज्योति न्यूज

दावे-आपत्तियों के लिए रहेगी एक माह की अवधि

राजनीतिक दलों से साझा की जाएगी ड्राफ्ट सूची- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

जयपुर/श्रीगंगानगर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) 2026 के पहले चरण(गणना चरण) के सफल समापन के उपरांत कल दिनांक 16 दिसंबर, 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि यह सूची सीईओ राजस्थान एवं संबधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, साथ ही राजस्थान के सभी 41 जिला निर्वाचन अधिकारी, 199 विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन उपरान्त बने 61136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा की जाएगी।

राजनैतिक सहभागिता सुनिश्चित हो

उन्होंने निर्देशित किया कि सभी राजनैतिक दलों को इस संबंध में पूर्व में ही सूचित कर देवें। इन्हें प्रारूप मतदाता सूची एवं पुनर्गठन के उपरांत मतदान केन्द्रों के बारे अवगत कराएं। प्रारूप मतदाता सूची के साथ में एएसडी (Absentee/Shifted/Dead/Already Enrolled) लिस्ट भी एक्सेसिबल फॉर्मेट में सीईओ राजस्थान एवं संबधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पुनर्गठन के बाद नव सृजित मतदान केन्द्रों पर बीएलओ एवं सुपरवाइजर को तुरंत नियोजित करने हेतु निर्देशित किया।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रेरित करें

श्री महाजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी मतदाताओं को सूची में अपना नाम जांचने के लिए प्रेरित किया जाए, यदि नाम नहीं है तो अपना नाम जुड़वाने के लिए फ़ॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र (Declaration Form) भरकर जमा कराने के बारे में जानकारी दी जाए। युवा मतदाता जो 1 अप्रेल 2026, 1 जुलाई 2026 एवं 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे, उन सभी से भी एडवांस फ़ॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने हेतु आवेदन करावें।

श्री महाजन ने बताया कि SIR के अनुसार, प्रारूप सूची से कोई भी नाम हटाने से पहले संबंधित ERO/AERO को सुनवाई का मौक़ा देकर लिखित आदेश जारी करने होंगे जिनके ऊपर डीइरू तथा CEO अपील सुन सकेंगे।

पंजाब केसरी
TUE,16 DECEMBER 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 12

एसआईआर | पश्चिम बंगाल में आज प्रकाशित होगा मतदाता सूची का मसौदा

10 जिलों में हट सकते हैं एक तिहाई से अधिक मतदाता

कोलकाता, 15 दिसम्बर (एजैंसी) : पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का मसौदा मंगलवार को प्रकाशित होगा। राज्य के 23 जिलों में से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे हुए 10 जिले मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में एक तिहाई से अधिक मतदाताओं का नाम हटाने के लिए प्रस्तावित हैं।

आंकड़ों के अनुसार, इन जिलों में 22 लाख 858 मतदाताओं को मुख्य रूप से तीन आधार- मृत्यु, निवास स्थान में परिवर्तन या सत्यापन के दौरान अनुपस्थिति के तहत हटाने के लिए चिह्नित किया गया है। इन 10 जिलों में मिलाकर कुल 3 करोड़ 96 लाख 33 हजार 580 मतदाता हैं, जो राज्य के कुल 7 करोड़ 66 लाख 37 हजार 529 मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा है। पूरे राज्य में कुल 58 लाख 17 हजार 851 मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने के लिए चिन्हित किया गया है, जिनमें से सीमावर्ती जिलों में प्रस्तावित हटाए जाने वाले मतदाताओं का हिस्सा लगभग 37.9 प्रतिशत है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि यह प्रक्रिया चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जा रही है। नाम न छापने की शर्त पर सीईओ कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'यह एक नियमित लेकिन विस्तृत विशेष गहन पुनरीक्षण है। मतदाता का नाम हटाने का आधार स्पष्ट हैं, मतदाता की मृत्यु, किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण या बार-बार दौरा करने पर भी मतदाता का पता न चलना या अनुपस्थित रहना। इस प्रक्रिया में कुछ भी मनमाना नहीं है।'

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि वास्तविक मतदाताओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा, 'जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने का प्रस्ताव है उन्हें निर्धारित समय के अंदर दावा या आपत्ति दर्ज करने का अधिकार है। वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उनका नाम बरकरार रखा जाएगा। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को स्वच्छ एवं अपडेट करना है।' सीमावर्ती जिलों, विशेषकर दक्षिण 24 परगना और मुर्शिदाबाद में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने से राजनैतिक बहस छिड़ने की आशंका है, खासकर तब जब विपक्षी दल इस संशोधन प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखे हुए हैं।

किस जिले में कितने मतदाताओं के हट सकते हैं नाम

जिले का नाम	मतदाताओं की संख्या
दक्षिण 24 परगना	8,16,047
उत्तर 24 परगना	2,45,840
मुर्शिदाबाद	2,78,706
मालदा	2,01,827
उत्तर दिनाजपुर	1,70,490
नादिया	68,280
दक्षिण दिनाजपुर	80,975
जलपाईगुड़ी	1,33,091
अलीपुरद्वार	92,267
कूच बिहार	1,13,335

दक्षिण 24 परगना सबसे ज्यादा प्रभावित जिला

समीक्षाधीन सभी जिलो मे से दक्षिण 24 परगना सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जहां 85,94,708 मतदाताओं मे से 8 लाख 16047 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटने का खतरा है, जो लगभग 9 .4 प्रतिशत है और 10 जिलो मे सर्वाधिक है। इन आंकड़ों का राजनीतिक महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि दक्षिण 24 परगना मे डायमंड हार्बर भी शामिल है जो तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है। आंकड़ों के अनुसार, डायमंड हार्बर संसदीय क्षेत्र में 1,63,650 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का खतरा है। पिछले लोकसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर से लगभग सात लाख वोटों के भारी अंतर से जीत प्राप्त की थी, इसलिए बड़ी संख्या मे नाम हटाने का प्रस्तावित मामला राजनीतिक और जांच का विषय बन गया है।

एसआइआर : आज जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची

एक महीने तक दर्ज हो सकेगी आपत्ति

राजनीतिक दलों से साझा होगी ड्राफ्ट सूची

जिले के 143850 मतदाताओं ने जमा नहीं करवाया पपत्र

सीकर @ पत्रिका . विशेष पुनरीक्षण अभियान(एसआइआर) अभियान के तहत जिला निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता सूची का प्रारूप मंगलवार को जारी होगा। मतदाता एक महीने तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल शर्मा ने बताया कि 27 अक्टूबर से 11 दिसम्बर तक अभियान चलाया था। जिले के 2272712 मतदाताओं में से 2128862 मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भरकर जमा करवा दिए गए है। इन मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किए गए है। अब तक गणना प्रपत्र जमा नहीं कराने वालों की सूची जिला प्रशासन की वेबसाइट पर भी जारी है। यह सूची भी मतदान केंद्र, ग्राम पंचायत मुख्यालय, निकाय कार्यालय में भी चस्पा की गई। प्रारूप मतदाता सूची की एक हार्ड एवं एक सॉफ्ट कॉपी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई। उन्हें प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्तियों तथा नव मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 मय घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई। घोषणा पत्र द्वारा आवेदक स्वयं अथवा उनके माता पिता के नाम की गत गहन पुनरीक्षण से मैपिंग की जाती है। जिले में मतदाताओं की सुविधा के लिए 1200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों का भी पुर्नगठन किया गया। जिले में 2419 मतदान केन्द्र हो गए।

ये है स्थिति

जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार जिले के 143850 मतदाताओं ने अभी तक पपत्र जमा नहीं कराया है। इनमें से 29780 मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित 86017, अनुपस्थित 14636, मतदाता सूची में एकाधिक स्थान पर पंजीकृत 8332 हैं।

दैनिक भास्कर सीकर जिला 16-12-2025

एसआईआर : समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का सम्मान

भास्कर न्यूज़ | श्रीमाधोपुर

निर्वाचन टीम की ओर से सोमवार शाम को सम्मान समारोह हुआ। इसमें एसआईआर कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले बीएलओ और सुपरवाइजरों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नीमकाथाना के अतिरिक्त कलेक्टर भागीरथ मल शाख मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

श्रीमाधोपुर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम अनिल कुमार ने बताया कि मानपुरिया अंडरपास के पास एक निजी गार्डन में आयोजित इस कार्यक्रम में 3 ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, 2 पीईईओ, 2 गिरदावरों, 4 सुपरवाइजरों, 27 बीएलओ और 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। सभी को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इसी दौरान उपखंड प्रशासन ने श्रीमाधोपुर के तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा को विदाई दी। इस दौरान श्रीमाधोपुर विकास अधिकारी सुनील ढाका, अजीतगढ़ सीडीपीओ मंजू भामू, अजीतगढ़ सीबीइओ मोहनलाल सहित निर्वाचन कार्य से जुड़े समस्त कार्मिक, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स, राजस्व कर्मी, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

श्रीमाधोपुर. कार्यक्रम के दौरान बीएलओ को सम्मानित करते अधिकारी।

एसआईआर प्रक्रियाः राजस्थान में आज जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची

नवज्योति, जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग के राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के पहले चरण (गणना चरण) के सफल समापन के बाद मंगलवार को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि यह सूची सीईओ राजस्थान एवं संबधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। साथ ही राजस्थान के सभी 41 जिला निर्वाचन अधिकारी, 199 विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन बाद बने 61,136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा की जाएगी।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करें: महाजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी मतदाताओं को सूची में अपना नाम जांचने के लिए प्रेरित किया जाए, यदि नाम नहीं है तो अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरकर जमा कराने के बारे में जानकारी दी जाए। युवा मतदाता जो 1 अप्रेल 2026, 1 जुलाई 2026 और 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे, उन सभी से भी एडवांस फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए आवेदन कराएं। महाजन ने बताया कि एसआईआर के अनुसार, प्रारूप सूची से कोई भी नाम हटाने से पहले संबंधित ईआरओ या एईआरओ को सुनवाई का मौका देकर लिखित आदेश जारी करने होंगे। इन पर डीएम तथा सीईओ अपील सुन सकेंगे।

राजस्थान में आज जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची

जयपुर/श्रीगंगानगर, 15 दिसंबर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के पहले चरण(गणना चरण) के सफल समापन के उपरांत कल दिनांक 16 दिसंबर, 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि यह सूची सीईओ राजस्थान एवं संबधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, साथ ही राजस्थान के सभी 41 जिला निर्वाचन अधिकारी, 199 विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन उपरान्त बने 61136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा की जाएगी। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी राजनैतिक दलों को इस संबंध में पूर्व में ही सूचित कर देवें। इन्हें प्रारूप मतदाता सूची एवं पुनर्गठन **शेष पृष्ठ 2 पर**

एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं को सुविधा

आज जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची युवा जुड़वा सकेंगे सूची में नाम

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

चित्तौड़गढ़. विशेष गहन पुनरीक्षण एसआइआर कार्यक्रम के प्रथम चरण की समाप्ति के साथ ही 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची आमजन के लिए ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी। प्रथम चरण में मतदाता सूचियों को पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से जिले के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, बीएलओ की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई। मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की सूचियों पर जिले के सभी 1501 मतदान केंद्रों पर बीएलओ के साथ चर्चा कर प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपादित किया गया। ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन के साथ ही मंगलवार को जिला मुख्यालय पर सभी राजनीतिक दलों के साथ सायं 4 बजे बैठक होगी, जिसमें मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की सूचियां एवं ड्राफ्ट रोल साझा किए जाएंगे। इसी तरह सभी इआरओ मुख्यालयों पर भी शाम 5 बजे राजनीतिक दलों के साथ बैठक होगी।

99.52 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग पूर्ण

पारदर्शी प्रक्रिया के तहत एसआइआर के प्रथम चरण के समापन के बाद 16 दिसंबर को जिले की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस ड्राफ्ट रोल में उन सभी मतदाताओं के नाम शामिल होंगे, जिनकी मैपिंग वर्ष 2002 की मतदाता सूची से पूर्ण हो चुकी है। जिले में यह लक्ष्य आधारित मतदाता मैपिंग 99.52 प्रतिशत रही है। मतदाता मैपिंग में जिला राज्य में अव्वल है और जिले की मैपिंग राज्य के प्रतिशत 97.38 प्रतिशत से 2 प्रतिशत अधिक है। मैपिंग प्रतिशत अधिक होने से जिले के लगभग 14 लाख 10 हजार 621 मतदाताओं में से मात्र 7 हजार से भी कम मतदाताओं को ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए संबंधित इआरओ के समक्ष आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

नए मतदाता जुड़वा सकेंगे नाम

जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे। नव मतदाता यह प्रक्रिया पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बीएलओ के माध्यम से प्रपत्र-6 एवं घोषणा पत्र-4 भरकर भी आवेदन किया जा सकता है। नव मतदाता जिला स्तर सहित इआरओ मुख्यालयों पर स्थापित हेल्प डेस्क से फार्म नंबर 6 एवं घोषणा पत्र-4 प्राप्त कर सकते हैं।

निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन को लेकर वर्चुअल बैठक आयोजित

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

सलूंबर । विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन को लेकर सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेशभर में निर्वाचक सूची के अद्यतन एवं प्रकाशन से जुड़ी तैयारियों, निर्धारित समय-सीमा तथा प्रक्रियात्मक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संभागीय आयुक्तों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों से सीधा संवाद करते हुए उनके क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश

दिए कि निर्वाचक नामावली से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज, प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ विधिवत संधारित किए जाएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे।

बैठक में दावा आपत्ति प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन के बाद निर्धारित अवधि में प्राप्त सभी दावों एवं आपत्तियों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी तय करते हुए सतत निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए।

जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीना ने बताया कि जिले के सभी नए बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) एवं सुपरवाइजरों की नियुक्ति की जा चुकी है, जिससे पुनरीक्षण कार्य सुचारु रूप से संपन्न किया जा सके। बैठक में अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. दिनेश रॉय सापेला, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी जगदीश चंद्र बामनिया, उप निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग दीपक धाकड़ सहित निर्वाचन शाखा के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

एक जनवरी को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा भी जुड़वा सकेंगे नाम

सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के प्रथम चरण की समाप्ति के साथ ही 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची आमजन के लिए ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी। प्रथम चरण में मतदाता सूचियों को पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से जिले के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों (बीएलए) की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई।

मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की सूचियों पर जिले के सभी 1501 मतदान केंद्रों पर बीएलए के साथ चर्चा कर प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपादित किया गया। ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन के साथ ही मंगलवार को जिला मुख्यालय पर सभी राजनीतिक दलों के साथ सायं 4 बजे बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की सूचियां एवं ड्राफ्ट रोल साझा किए जाएंगे। इसी प्रकार सभी ईआरओ मुख्यालयों पर भी सायं 5 बजे राजनीतिक दलों के साथ बैठक का आयोजन किया जाएगा।

नए मतदाता जुड़वा सकेंगे नाम

जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे। नवमतदाता यह प्रक्रिया voters.eci.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बीएलओ के माध्यम से प्रपत्र-6 एवं घोषणा पत्र-4 भरकर भी आवेदन किया जा सकता है। नव मतदाता जिला स्तर सहित ईआरओ मुख्यालयों पर स्थापित हेल्प डेस्क से फार्म नंबर 6 एवं घोषणा पत्र-4 प्राप्त कर सकते हैं।

जिले की 99.52 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग पूर्ण

पारदर्शी प्रक्रिया के तहत एसआईआर के प्रथम चरण के समापन के बाद 16 दिसंबर को जिले की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस ड्राफ्ट रोल में उन सभी मतदाताओं के नाम सम्मिलित होंगे, जिनकी मैपिंग वर्ष 2002 की मतदाता सूची से पूर्ण हो चुकी है। जिले में यह लक्ष्य आधारित मतदाता मैपिंग 99.52 प्रतिशत रही है। मतदाता मैपिग में जिला राज्य में अव्वल है और जिले की मैपिग राज्य के प्रतिशत 97.38 प्रतिशत से 2 प्रतिशत अधिक है। मैपिग प्रतिशत अधिक होने से जिले के लगभग 14 लाख 10 हजार 621 मतदाताओं में से मात्र 7 हजार से भी कम मतदाताओं को ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए संबंधित ईआरओ के समक्ष आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

ऑनलाइन भी देख सकेंगे ड्राफ्ट रोल

एसआईआर प्रक्रिया के अगले चरण में 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही मतदाताओं को दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएंगी, वहीं 16 दिसंबर से 7 फरवरी 2026 तक सुनवाई एवं सत्यापन की प्रक्रिया चलेगी। 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची तथा मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की जानकारी जिला प्रशासन की वेबसाइट https://chittorgarh.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगी। जिला मुख्यालय सहित सभी ईआरओ मुख्यालयों पर भी आमजन इन सूचियों का अवलोकन कर सकते हैं

दैनिक नवज्योति Bhilwara - 16 Dec 2025 - Page 7

99.52 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग पूर्ण, ड्राफ्ट लिस्ट आज होगी जारी

एसआईआर कार्यक्रम : 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा भी जुड़वा सकेंगे नाम

न्यूज सर्विस/नवज्योति, बेगूं

विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर कार्यक्रम के प्रथम चरण की समाप्ति के साथ ही 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची आमजन के लिए ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी।

प्रथम चरण में मतदाता सूचियों को पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से जिले के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, बीएलए की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई। मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की सूचियों पर जिले के सभी 1501 मतदान केंद्रों पर बीएलए के साथ चर्चा कर प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपादित किया गया। ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन के साथ ही मंगलवार को जिला मुख्यालय पर सभी राजनीतिक दलों के साथ सायं 4 बजे बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की सूचियां एवं ड्राफ्ट रोल साझा किए जाएंगे। इसी प्रकार सभी ईआरओ मुख्यालयों पर भी सायं 5 बजे राजनीतिक दलों के साथ बैठक का आयोजन किया जाएगा।

बेगूं। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण की समाप्ति के साथ ही 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन करने की जानकारी देते कलक्टर एवं एसडीएम व अन्य अधिकारी। -राजकुमार राईवाल

नए मतदाता जुड़वा सकेंगे नाम

जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे। नवमतदाता यह प्रक्रिया वोटर्स डोट ईसीआई डोट जीओवी डोट इन पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बीएलओ के माध्यम से प्रपत्र-6 एवं घोषणा पत्र-4 भरकर भी आवेदन किया जा सकता है। नव मतदाता जिला स्तर सहित ईआरओ मुख्यालयों पर स्थापित हेल्प डेस्क से फार्म नंबर 6 एवं घोषणा पत्र-4 प्राप्त कर सकते हैं।

मैपिंग में जिला अव्वल

पारदर्शी प्रक्रिया के तहत एसआईआर के प्रथम चरण के समापन के बाद 16 दिसंबर को जिले की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस ड्राफ्ट रोल में उन सभी मतदाताओं के नाम सम्मिलित होंगे, जिनकी मैपिंग वर्ष 2002 की मतदाता सूची से पूर्ण हो चुकी है। जिले में यह लक्ष्य आधारित मतदाता मैपिंग 99.52 प्रतिशत रही है। मतदाता मैपिंग में जिला राज्य में अव्वल है और जिले की मैपिंग राज्य के प्रतिशत 97.38 प्रतिशत से 2 प्रतिशत अधिक है। मैपिंग प्रतिशत अधिक होने से जिले के लगभग 14 लाख 10 हजार 621 मतदाताओं में से मात्र 7 हजार से भी कम मतदाताओं को ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए संबंधित ईआरओ के समक्ष आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

ऑनलाइन भी देख सकेंगे ड्राफ्ट रोल

एसआईआर प्रक्रिया के अगले चरण में 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही मतदाताओं को दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएंगी, वहीं 16 दिसंबर से 7 फरवरी 2026 तक सुनवाई एवं सत्यापन की प्रक्रिया चलेगी। 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची तथा मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की जानकारी जिला प्रशासन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। जिला मुख्यालय सहित सभी ईआरओ मुख्यालयों पर भी आमजन इन सूचियों का अवलोकन कर सकते हैं

मंगलवार को जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची

चित्तौड़गढ़,राजस्थान(बीएनटी संवाददाता)। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के प्रथम चरण की समाप्ति के साथ ही 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची आमजन के लिए ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी। प्रथम चरण में मतदाता सूचियों को पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से जिले के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों (बीएलए) की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई। मृतए स्थायी रूप से स्थानांतरितए अनुपस्थित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की सूचियों पर जिले के सभी 1501 मतदान केंद्रों पर बीएलए के साथ चर्चा कर प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपादित किया गया। ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन के साथ ही मंगलवार को जिला मुख्यालय पर सभी राजनीतिक दलों के साथ सायं 4 बजे बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की सूचियां एवं ड्राफ्ट रोल साझा किए जाएंगे। इसी प्रकार सभी ईआरओ मुख्यालयों पर भी सायं 5 बजे राजनीतिक दलों के साथ बैठक का आयोजन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे। नवमतदाता यह प्रक्रिया voters.eci.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बीएलओ के माध्यम से प्रपत्र.6 एवं घोषणा पत्र.4 भरकर भी आवेदन किया जा सकता है। नव मतदाता जिला स्तर सहित ईआरओ मुख्यालयों पर स्थापित हेल्प डेस्क से फार्म नंबर 6 एवं घोषणा पत्र.4 प्राप्त कर सकते हैं। पारदर्शी प्रक्रिया के तहत एसआईआर के प्रथम चरण के समापन के बाद 16 दिसंबर को जिले की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस ड्राफ्ट रोल में उन सभी मतदाताओं के नाम सम्मिलित होंगे, जिनकी मैपिंग वर्ष 2002 की मतदाता सूची से पूर्ण हो चुकी है। जिले में यह लक्ष्य आधारित मतदाता मैपिंग 99.52 प्रतिशत रही है। मतदाता मैपिंग में जिला राज्य में अव्वल है और जिले की मैपिंग राज्य के प्रतिशत 97.38 प्रतिशत से 2 प्रतिशत अधिक है। मैपिंग प्रतिशत अधिक होने से जिले के लगभग 14 लाख 10 हजार 621 मतदाताओं में से मात्र 7 हजार से भी कम मतदाताओं को ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए संबंधित ईआरओ के समक्ष आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। एसआईआर प्रक्रिया के अगले चरण में 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही मतदाताओं को दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएंगी, वहीं 16 दिसंबर से 7 फरवरी 2026 तक सुनवाई एवं सत्यापन की प्रक्रिया चलेगी। 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची तथा मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की जानकारी जिला प्रशासन की वेबसाइट https://chittorgarh.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगी। जिला मुख्यालय सहित सभी ईआरओ मुख्यालयों पर भी आमजन इन सूचियों का अवलोकन कर सकते हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण का समापन

ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन आज

जननायक | चित्तौड़गढ़। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के प्रथम चरण की समाप्ति के साथ ही 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची आमजन के लिए ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी।

प्रथम चरण में मतदाता सूचियों को पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से जिले के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों (बीएलए) की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई। मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की सूचियों पर जिले के सभी 1501 मतदान केंद्रों पर बीएलए के साथ चर्चा कर प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपादित किया गया। ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन के साथ ही मंगलवार को जिला मुख्यालय पर सभी राजनीतिक दलों के साथ सायं 4 बजे बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की सूचियां एवं ड्राफ्ट रोल साझा किए जाएंगे। इसी प्रकार सभी ईआरओ मुख्यालयों पर भी सायं 5 बजे राजनीतिक दलों के साथ बैठक का आयोजन किया जाएगा।

नए मतदाता जुड़वा सकेंगे नाम

जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे। नवमतदाता यह प्रक्रिया voters.eci.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बीएलओ के माध्यम से प्रपत्र-6 एवं घोषणा पत्र-4 भरकर भी आवेदन किया जा सकता है। नव मतदाता जिला स्तर सहित ईआरओ मुख्यालयों पर स्थापित हेल्प डेस्क से फार्म नंबर 6 एवं घोषणा पत्र-4 प्राप्त कर सकते हैं।

99.52 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग पूर्ण

पारदर्शी प्रक्रिया के तहत एसआईआर के प्रथम चरण के समापन के बाद 16 दिसंबर को जिले की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस ड्राफ्ट रोल में उन सभी मतदाताओं के नाम सम्मिलित होंगे, जिनकी मैपिंग वर्ष 2002 की मतदाता सूची से पूर्ण हो चुकी है। जिले में यह लक्ष्य आधारित मतदाता मैपिंग 99.52 प्रतिशत रही है। मतदाता मैपिग में जिला राज्य में अव्वल है और जिले की मैपिग राज्य के प्रतिशत 97.38 प्रतिशत से 2 प्रतिशत अधिक है। मैपिग प्रतिशत अधिक होने से जिले के लगभग 14 लाख 10 हजार 621 मतदाताओं में से मात्र 7 हजार से भी कम मतदाताओं को ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए संबंधित ईआरओ के समक्ष आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

ऑनलाइन भी देख सकेंगे ड्राफ्ट रोल

एसआईआर प्रक्रिया के अगले चरण में 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही मतदाताओं को दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएंगी, वहीं 16 दिसंबर से 7 फरवरी 2026 तक सुनवाई एवं सत्यापन की प्रक्रिया चलेगी। 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची तथा मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की जानकारी जिला प्रशासन की वेबसाइट https://chittorgarh.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगी। जिला मुख्यालय सहित सभी ईआरओ मुख्यालयों पर भी आमजन इन सूचियों का अवलोकन कर सकते हैं।

1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा भी जुड़वा सकेंगे नाम

(यूथ की आवाज़)

चित्तौड़गढ़। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के प्रथम चरण की समाप्ति के साथ ही 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची आमजन के लिए ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी। प्रथम चरण में मतदाता सूचियों को पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से जिले के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों (बीएलए) की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई। मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की सूचियों पर जिले के सभी 1501 मतदान केंद्रों पर बीएलए के साथ चर्चा कर प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपादित किया गया। ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन के साथ ही मंगलवार को जिला मुख्यालय पर सभी राजनीतिक दलों के साथ सायं 4 बजे बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की सूचियां एवं ड्राफ्ट रोल साझा किए जाएंगे। इसी प्रकार सभी ईआरओ मुख्यालयों पर भी सायं 5 बजे राजनीतिक दलों के साथ बैठक का आयोजन किया जाएगा। नए मतदाता जुड़वा सकेंगे नाम जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे। नवमतदाता यह प्रक्रिया ५ङ्क्षश१२ेूं.ङ्क्षप्.ल्ल पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बीएलओ के माध्यम से प्रपत्र-6 एवं घोषणा पत्र-4 भरकर भी आवेदन किया जा सकता है। नव मतदाता जिला स्तर सहित ईआरओ मुख्यालयों पर स्थापित हेल्प डेस्क से फार्म नंबर 6 एवं घोषणा पत्र-4 प्राप्त कर सकते हैं। जिले की 99.52 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया के तहत एसआईआर के प्रथम चरण के समापन के बाद 16 दिसंबर को जिले की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस ड्राफ्ट रोल में उन सभी मतदाताओं के नाम सम्मिलित होंगे, जिनकी मैपिंग वर्ष 2002 की मतदाता सूची से पूर्ण हो चुकी है। जिले में यह लक्ष्य आधारित मतदाता मैपिंग 99.52 प्रतिशत रही है। मतदाता मैपिंग में जिला राज्य में अव्वल है

दैनिक भास्कर
चित्तौड़गढ़ भास्कर 16-12-2025

एसआईआर : ऑनलाइन करने के साथ साझा करेंगे ड्राफ्ट रोल

ड्राफ्ट मतदाता सूची आज जारी होगी, अब एक महीने तक होंगे दावे एवं आपत्तियां

चित्तौड़गढ़ | विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के प्रथम चरण की समाप्ति के साथ ही 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जो आमजन के लिए ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन के अनुसार अब अगले चरण में 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएंगी। 7 फरवरी तक सुनवाई एवं सत्यापन प्रक्रिया चलेगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी को किया जाएगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची के साथ मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की जानकारी जिला प्रशासन की वेबसाइट chittorgarh.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगी। जिला मुख्यालय सहित सभी ईआरओ मुख्यालयों पर भी आमजन इन सूचियों का अवलोकन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थि त एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं पर सभी 1501 बूथ पर बीएलए के साथ चर्चा कर प्रक्रिया संपादित की गई। मंगलवार को जिला मुख्यालय पर राजनीतिक दलों के साथ शाम 4 बजे बैठक की जाएगी। जिसमें भी सूचियां एवं ड्राफ्ट रोल साझा किए जाएंगे। सभी ईआरओ मुख्यालयों पर भी शाम 5 बजे राजनीतिक दलों की बैठक की जाएगी।

जिले की 99.52% मैपिंग पूर्ण 7 हजार वोटर्स को ही पेश करना होगा सबूत : ड्राफ्ट रोल में उन सभी मतदाताओं के नाम होंगे, जिनकी मैपिंग वर्ष 2002 की मतदाता सूची से हो चुकी है।

लक्ष्य आधारितमतदाता मैपिग में जिला राज्य में अव्वल है। जिले की मैपिग राज्य के औसत 97.38 प्रतिशत से 2 प्रतिशत अधिक है। जिले के लगभग 14 लाख 10 हजार 621 मतदाताओं में से 7 हजार से भी कम मतदाताओं को नाम जुड़वाने के लिए ईआरओ के समक्ष आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

udaipur express

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026: राजस्थान में मंगलवार को जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची

दावे-आपत्तियों के लिए रहेगी एक माह की अवधि; राजनीतिक दलों से साझा की जाएगी ड्राफ्ट सूची- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

जयपुर/उदयपुर, 15 दिसंबर (सूजस)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के पहले चरण(गणना चरण) के सफल समापन के उपरांत मंगलवार को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि यह सूची सीईओ राजस्थान एवं संबधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, साथ ही राजस्थान के सभी 41 जिला निर्वाचन अधिकारी, 199 विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन उपरान्त बने 61136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा की जाएगी।

उन्होंने निर्देशित किया कि सभी राजनैतिक दलों को इस संबंध में पूर्व में ही सूचित कर देवें। इन्हें प्रारूप मतदाता सूची एवं पुनर्गठन के उपरांत मतदान केन्द्रों के बारे अवगत कराएं। प्रारूप मतदाता सूची के साथ में एएसडी (एब्सेन्ट/शिफ्टेड/डेड/ऑलरेडी एनरोल्ड) लिस्ट भी एक्सेसिबल फॉर्मेट में सीईओ राजस्थान एवं संबधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पुनर्गठन के बाद नव सृजित मतदान केन्द्रों पर बीएलओ एवं सुपरवाइजर को तुरंत नियोजित करने हेतु निर्देशित किया।

श्री महाजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी मतदाताओं को सूची में अपना नाम जांचने के लिए प्रेरित किया जाए, यदि नाम नहीं है तो अपना नाम जुड़वाने के लिए फ़ॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरकर जमा कराने के बारे में जानकारी दी जाए। युवा मतदाता जो 1 अप्रेल 2026, 1 जुलाई 2026 एवं 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे, उन सभी से भी एडवांस फ़ॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने हेतु आवेदन करावें। श्री महाजन ने बताया कि एसआईआर के अनुसार, प्रारूप सूची से कोई भी नाम हटाने से पहले संबंधित ईआरओ/एईआरओ को सुनवाई का मौक़ा देकर लिखित आदेश जारी करने होंगे जिनके ऊपर डीएम तथा सीईओअपील सुन सकेंगे।

श्री महाजन ने बताया कि हर गाँव, हर वार्ड, हर घर तक पहुँचने तथा प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के प्रयासों के अंतर्गत राजस्थान के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, सभी 41 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, 199 निर्वाचक नामांकन पदाधिकारी, 52,222 मतदाता केंद्रों पर तैनात बीएलओ लाखों वॉलंटियर्स तथा सभी राजनैतिक दलों द्वारा नामित 1 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स ने अपनी अहम जिम्मेदारी का निर्वहन किया।

Scanned with OKEN Scanner

एसआइआर के बाद आज सामने आएगा मतदाता सूची का प्रारूप

उदयपुर@पत्रिका. विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के पहले चरण के समापन के उपरांत मंगलवार को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यह सूची सीईओ राजस्थान एवं संबंधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। प्रदेश के सभी 41 जिला निर्वाचन अधिकारी, 199 विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन उपरांत बने 61136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा की जाएगी।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करें: सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी मतदाताओं को सूची में अपना नाम जांचने के लिए प्रेरित किया जाए, यदि नाम नहीं है तो अपना नाम जुड़वाने के लिए फ़ॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरकर जमा कराने के वारे में जानकारी दी जाए। एसआईआर के अनुसार, प्रारूप सूची से कोई भी नाम हटाने से पहले संबंधित ईआरओ/एईआरओ को सुनवाई का मौका देकर लिखित आदेश जारी करने होंगे।

Scanned with OKEN Scanner

दैनिक नवज्योति
Udaipur City - 16 Dec 2025 - Page 13

एसआईआर प्रक्रिया: राजस्थान में आज जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची

नवज्योति, जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग के राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के पहले चरण (गणना चरण) के सफल समापन के बाद मंगलवार को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि यह सूची सीईओ राजस्थान एवं संबधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। साथ ही राजस्थान के सभी 41 जिला निर्वाचन अधिकारी, 199 विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन बाद बने 61,136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा की जाएगी।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करें: महाजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी मतदाताओं को सूची में अपना नाम जांचने के लिए प्रेरित किया जाए, यदि नाम नहीं है तो अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरकर जमा कराने के बारे में जानकारी दी जाए। युवा मतदाता जो 1 अप्रेल 2026, 1 जुलाई 2026 और 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे, उन सभी से भी एड्वांस फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए आवेदन कराएं। महाजन ने बताया कि एसआईआर के अनुसार, प्रारूप सूची से कोई भी नाम हटाने से पहले संबंधित ईआरओ या एईआरओ को सुनवाई का मौका देकर लिखित आदेश जारी करने होंगे। इन पर डीएम तथा सीईओ अपील सुन सकेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

दैनिक भास्कर उदयपुर 16-12-2025

प्रदेश में सबसे अधिक 7 लाख मतदाताओं के नाम जयपुर में हटाए गए

SIR... पहला प्रारूप आज, 42 लाख नाम कटे, 11 लाख को 1 माह में दस्तावेज देने होंगे

भास्कर न्यूज | जयपुर

प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) का पहला प्रारूप मंगलवार को जारी होगा। प्रदेश के मतदाता सूचियों में से कितने नाम काटे गए हैं, इसका ऑफिशियल एलान भी हो जाएगा। प्रदेश में अब तक की वर्किंग में सामने आया है कि प्रदेशभर के 5.46 करोड़ वोटरों में से 42 लाख 29 हजार 326 से अधिक वोटरों के नाम कटेंगे। ये वो नाम हैं, जो दो जगह, पलायन, पता बदलने, मृत्यु होने आदि की कैटेगरी में काटे गए हैं। इसमें सीधे तौर पर संबंधित वोटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह जरूर है कि वह दो जगह वोट नहीं दे सकेगा।

इसी तरह, 11 लाख वोटरों को 2002 से पहले के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इन्हें ऐसा करने के लिए एक माह का समय मिलेगा। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर इनके नाम भी काटे जाएंगे। सर्वाधिक नाम कटने का मामला जयपुर से जुड़ा है। यहां करीब 7 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। वहीं, दस्तावेज न देने वालों में सर्वाधिक घुमंतू समाज के लोग हैं, इनके लिए आयोग विशेष व्यवस्था करेगा।

दिग्गजों का क्षेत्र: सीएम के विस क्षेत्र सांगानेर में 63 हजार, गहलोत के सरदारपुरा में 57 हजार, राजे के झालरापाटन में 26 हजार नाम हटाए

सीएम भजनलाल के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में 63 हजार, डिप्टी सीएम दिया कुमारी के विद्याधर नगर में 57 हजार मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के दूदू विस में 14 हजार, पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सरदारपुरा में 57 हजार नाम हटाए गए हैं। वहीं, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के विस क्षेत्र झालरापाटन से करीब 26 हजार नाम कटे हैं। **और यह ट्रेंड रहा है...वर्ष 2023** के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तुलना में बीजेपी पौने सात लाख अधिक वोट हासिल करके सत्ता में आई थी। वहीं, 2018 में बीजेपी से पौने दो लाख अधिक वोट हासिल करके कांग्रेस सत्ता में आई थी।

20 से 25 वोटर प्रति बूथ दस्तावेज देने के दायरें में है

एसआईआर के तहत साल 2002 से पहले के दस्तावेजों प्रस्तुत करने के दायरे में 11 लाख से अधिक वोटर चिह्नित किए गए हैं। यानी, औसत 20 से 25 मतदाता प्रतिबूथ इस दायरे में रहेंगे।

पिछली SIR में नाम है, तो प्रमाण देकर नाम जुड़वा सकेंगे

जिन्होंने अभी दस्तावेज नहीं दिए हैं, उनके भी नाम सीधे नहीं कटेंगे। सुनवाई का मौका दिए बिना किसी का नाम वोटरलिस्ट से नहीं काटा जाएगा। एसआईआर की वोटर लिस्ट का जो ड्रॉफ्ट पब्लिकेशन होगा, उसमें घर नहीं मिलने वालों की लिस्ट होगी। ड्राफ्ट पब्लिकेशन में जिनके नाम नहीं होंगे, उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाएगा। वे इसके बाद अपना पक्ष रख सकते हैं। पिछली एसआईआर में नाम है, तो प्रमाण देकर नाम जुड़वा सकेंगे। पिछली एसआईआर में नाम नहीं है तो अपने माता-पिता का पिछली एसआईआर में नाम का प्रमाण और खुद का एक आईडेंटिटी प्रूफ देना होगा। ड्राफ्ट पब्लिकेशन में जिनके नाम नहीं होंगे और वे सुनवाई का मौका देने के बाद भी नहीं आते हैं तो उनके नाम काटे जाएंगे।

बंगाल, गोवा की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी आज जारी होगी

नई दिल्ली | निर्वाचन आयोग प. बंगाल, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप का भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मंगलवार को प्रकाशित करेगा। लिस्ट की प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ भी साझा की जाएगी। प.बंगाल की ड्राफ्ट चुनावी लिस्ट मंगलवार को बीएलओ को मिल गई।

शेष | पेज 11

Scanned with OKEN Scanner